# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 54/2016, जी.सी.एम.एस. नं. 2016/00032

1. हनुमान पुत्र भागोता जाति मीना निवासी ग्राम ढाणी लक्ष्मीपुरा गरडवास तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर।
2. छीतरलाल पुत्र गोपाल माता काली जाति मीना निवासी ग्राम ढाणी लक्ष्मीपुरा गरडवास तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर।

अपी0

बनाम

1. पीरया पुत्र रामनारायण माता चकोली
2. पूरया पुत्र रामनारायण माता चकोली
3. प्रभू पुत्र रामकुवार माता गेंदी

} जातियान मीना निवासीयान ढाणी लक्ष्मीपुरा गरडवास तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर।

रेस्पो0

(अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा मु0न0 32/2013 निर्णय दिनांक 29.04.2016)

26.10.21

उपस्थित अभिभाषक

1. अपीलांट की ओर से श्री भौला शंकर शर्मा
2. रेस्पो0 की ओर से श्री मुकेश तेहरिया

निर्णय — दिनांक 26.10.2021

1. प्रस्तुत अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम 1955) के तहत मु0न0 32/2013 निर्णय दिनांक 29.04.2016 न्यायालय उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा के विरूद्व पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में सायलान/अपी0 की ओर से एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251(अ) आर0टी0एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि सायलान/अपी0 ग्राम लक्ष्मीपुरा गरडवास तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर के निवासी है। ग्राम ढाणी लक्ष्मीपुरा गरडवास तहसील चौथ का बरवाडा सवाई माधोपुर एकड/बीघा में स्थित सायलान/अपी0 हनुमान व छीतरलाल की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1748 रकबा 1.78 है0 ग्राम ढाणी लक्ष्मीपुरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:58:35 IST
Reason: SelfAttested



Scanned with CamScanner

गरडवास तहसील चौथ का बरवाडा में स्थित है। सायलान/अपी0 की खातेदारी की भूमि पर आने जाने का एक मात्र कदीमी रास्ता खसरा नम्बर 1750, 1752 व 1749 की मेड पर होकर 15 फुट चौडा रास्ता हमेशा का बना हुआ है जिनमें होकर सायलान/अपी0 हमेशा से अपनी काश्त करदा फसल ट्रेक्टर ट्रोली, हल, कुली आदि लाते ले जा रहे है। गैरसायलान/रेस्पों. ने एकड/बीघा में क्षेत्रफल सहित खसरा नम्बर 1749 रकबा 0.80 है0, खसरा नम्बर 1750 रकबा 0.97 है0, खसरा नम्बर 1752 रकबा 0.50 है0 वाके ढाणी लक्ष्मीपुरा गरडवास की मेड पर होकर निकलने वालें रास्ते को अवरूद्व कर रखा है। सायलान/अपी0 ने अधिनस्थ न्यायालय से निवेदन किया कि उक्त रास्ते का खुलासा करवाया जाकर विद्यमान रास्ते का विस्तार 15 फुट चौडा किया जावें। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सायलान/अपी0 का प्रार्थना पत्र खारिज होने से अपी0/सायलान के विरूद्व निर्णय पारित किये जाने से व्यथित होकर अपी0/सायलान द्वारा अपील पेश की गयी है।

2. अपील पेश होन पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पों0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषकों की सुनी गई।

3. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिया है कि फैसला अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.04.2016 पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व रिकार्ड के विपरीत होने के कारण निरस्त होने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने फैसले में लिखा है कि ख.नं. 1749, 1750 व 1752 की मेड पर कोई रास्ता अंकित नहीं है, जो गलत है। सेक्शन 251(क) में मौके पर स्थित रास्ता का अंकन रेवेन्यू रिकॉर्ड में होना आवश्यक नहीं है बल्कि धारा 251 (क) में तो नवीन रास्ता तक दिलाया जाकर सम्बन्धित भूमिधारक को उसका भुगतान रास्ता चाहने वाले व्यक्ति से कराया जाकर रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है। पटवारी हल्का गरडवास की रिपोर्ट जो तहसीलदार के द्वारा भिजवाई गयी है, के पैरा नं. 4 में अंकित है कि खसरा नम्बर 1748 पर जाने का रास्ता ख.नं. 1749, 1750, 1752 की मेड पर होकर जा रहा है लेकिन उसे अवरूद्व कर रखा है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में यह कहीं भी उल्लेखित नहीं है कि ख.नं. 1749, 1750, 1752 की मेड पर स्थित रास्ते के अलावा ख. नं. 1748 पर जाने का अन्य कोई रास्ता उपलब्ध [illegible] रिपोर्ट से स्पष्ट था कि मौके पर रास्ता जा रहा है जिसे 7 फिट चौडाई में डाल [illegible] अवरूद्व कर दिया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने यह भी [illegible] है कि ख.नं. 1748 पर खातेदारों का कब्जा नहीं है। ख.नं. 1748 पर अपी0 सं. 1 की खातेदारी [illegible] व अपी0 सं. 2 का अपी0 सं. 1 की सहमति व स्वीकृति से कब्जा है जो अपी0 सं. 1 की सहमति व स्वीकृति से उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:58:35 IST
Reason: SelfAttested



Scanned with CamScanner

आराजी का काश्त करता है एवं दोनों की तरफ से ही यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने गलत खारिज किया है। अधिनस्थ न्यायालय से खातेदार व जोता दोनों ने रास्ते की मांग की थी जो अधिनस्थ न्यायालय को कानूनन देना चाहिए था। अधिनस्थ न्यायालय का फैसला मनमाना है व निरस्त होने योग्य है। अतः अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावें।

4. विद्वान रेस्पों० के अभिभाषक ने उपरोक्त तर्को का प्रतिरोध करते हुए अपील बहस में तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया कि अपी० द्वारा ख.नं. 1748 में पहुंचने वास्ते रास्ते विस्तार करवाने बाबत् जो प्रार्थना पत्र पेश किया है महज ही झूठा एवं बेबुनियाद है। चूंकि अपी० पूर्व से ही अपने बुजुर्गो के समय से ही ख.नं. 1748 व उससे लगता हुआ ख.नं. 1745 में होकर आते जाते रहें और उसी रास्ते से होकर अब तक वर्षो से अपने खेतों को जोतते चले आ रहे है। अपी० द्वारा रेस्पों. को महज परेशान करने की गरज से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। अपी० द्वारा प्रार्थना पत्र में आने जाने वास्ते उचित एवं करीबी रास्ता रेस्पों. के खेतों में होकर बताया है जो सरासर गलत है क्योंकि ख.नं. 1744 जो अपी० की खातेदारी कब्जे काश्त का है जो मुख्य मार्ग से लगता हुआ अपी० के खेत ख.नं. 1748 से खेत ख.नं. 1745 से सटवा है। अपी० द्वारा रेस्पों. के ख.नं. 1749,1750,1752 में होकर रास्ते की इस्तदुआ की जो गलत है। चूंकि रेस्पों. के उक्त खसरा नम्बरान से लगता हुआ कोई रिकॉर्ड्रेड रास्ता वर्तमान में मौजूद नहीं है न ही कभी रहा है। गांव से मोल में जाने का जो मुख्य रास्ता है वह अपी० के ख.नं. 1744 से लगता हुआ है और उसी रास्ते में होकर अपी० अपने खेतों पर आते जातें रहते है। अपी० को इस तरह का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह अन्य की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि को बिगाड कर अपने स्वार्थ के लिए रास्ता निकालें जबकि उक्त खेत ख.नं. 1748 में जाने के लिये अपने पिता के जीवनकाल से यानी वर्षो से ख.नं. 1744 व 1745 में होकर रास्ता कदीमी बना हुआ है और उसी रास्ते में होकर अपी० अपने खेतों की हकाई–जुताई–बुआई आदि का सामान लाते ले जाते रहे है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य सबूतो का विधि पूर्वक अध्यनन एवं मनन कर ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जिसमे किंसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतः अपी० की अपील सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे एवं अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा बहस में प्रस्तुत तर्को पर मनन किया गया। पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। ... के मद सं. 10 में कथन किया है कि " खसरा नम्बर 1748 में जाने हेतु ... ख.नं. 1749, 1750 व 1752 की मेडों पर होकर जा रहे कदीमी रास्ते का उपयोग उपभोग हमेशा से करते आ रहे थे

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:58:35 IST
Reason: SelfAttested



Scanned with CamScanner

एवं अपने हल, कुली, बैल इत्यादि लाने व ले जाने में उपयोग कर रहे थे जिसे रोकने का रेस्पों. को कोई अधिकार नहीं था।'' इसका तात्पर्य है कि रास्ता कदीमी तौर पर उपयोग में लाया जा रहा था, जिसे रेस्पों. द्वारा अवरूद्व कर दिया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध नकल अनुसार अपी0 सं. 1 द्वारा माननीय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) सवाईमाधोपुर में प्रस्तुत वाद सं. 57/14 उनवान हनुमान बनाम पीरीया वगै0 बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा के वादपत्र के बिन्दु सं. 02 में कथन किया है कि ''वादी के उपयोग उपभोग का रास्ता मौके पर 20 फीट चौडा बना हुआ है जो रास्ते में जाकर मिलता है, जिसका उपयोग वादी जब से होश सम्भाला तब से करता आ रहा है और इससे पूर्व वादी के पूर्वजों के उपयोग उपभोग में आता रहा है।'' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 में अभिलिखित है कि ''उस दशा में जब कोई भूमिधारी जो वस्तुतः रास्ते के अधिकार, या अन्य सुखाचार या अधिकार का उपभोग कर रहा हो, अपने उक्त उपभोग में बिना उसकी सहमति के, विधि विहित प्रणाली से भिन्न तरीके से, बाधित किया जाये तो तहसीलदार उक्तरूपेण बाधित भूमिधारी के प्रार्थना–पत्र पर, तथा उक्त उपभोग एवं बाधा के विषय में सरसरी जांच करने के पश्चात् बाधा को हटाये जाने की अथवा बंद किये जाने की और प्रार्थी भूमिधारी को पुनः उक्त उपभोग करने की आज्ञा कर सकेगा चाहे उक्तरूपेण पुनः उपयोग किये जाने के विरूद्व तहसीलदार के समक्ष अन्य कोई हक स्थापित किया जाये।'' यदि किसी पुराने रास्ते को अवरूद्व किया गया है तो इस सम्बंध में कार्यवाही करने के लिए तहसीलदार अधिकृत है। अधिनियम में प्रदत्त तृतीय अनुसूची के कम सं. 81 पर धारा 251 के अन्तर्गत तहसीलदार को स्पष्ट रूप से सक्षम अधिकारी बताया गया है। पत्रावली पर ऐसे कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिनसें यह स्पष्ट हो सके कि कदीमी रास्ते को रोकने पर पीडित पक्षकार द्वारा तहसीलदार के समक्ष कोई प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण/अपी0 द्वारा धारा 251(क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें ख.नं. 1749, 1750 व 1752 की मेढ पर से निकलने वाले रास्ते को अवरूद्व कर रखा है को खुलासा करवाया जाकर [illegible] विस्तार कर 15 फुट चौडा रास्ता करवाया जाने बावत् अनुतोष चाहा गया। राजस्व रिकार्ड नकल जमाबंदी सम्बत् 2076 ल0 2079 के खतौनी सं. 267 के अनुसार ख.नं. 1744 रकबा 3.59 है0 का 1/4 हिस्सा अपी0 हनुमान पुत्र भगोता के नाम अंकित हैं। अपी0 द्वारा तथ्य को वर्णित नहीं किया है। उपरोक्त विवेचनानुसार अपील स्वीकार योग्य नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः अपील खारिज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:58:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

6. अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा के मु0नं0 32/2013 निर्णय दिनांक 29.04.2016 को यथावत रखा जाता है।

7. निर्णय आज दिनांक 26.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26.10.21

( बी0एल0रमण )
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:58:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner